भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2729
04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषक संगठनों की मांग
2729. श्री के. राधाकृष्णनः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कृषक संगठनों की मांग के अनुसार कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने का विचार है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसपी के अंतर्गत खरीदी गई फसलों का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) बड़ी संख्या में फसलों और किसानों तक प्रभावी एमएसपी खरीद का विस्तार न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रत्येक वर्ष, सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के पश्चात, पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी ढ़ांचे के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य कारकों के साथ-साथ अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलें, बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की है।

जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने लगता है तब कुल उत्पादन में से केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है। सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर, दिशानिर्देशों के अनुसार, तब की जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ देश के किसानों, जिनमें केरल के किसान भी शामिल हैं, को मिला है, जो कि एमएसपी फसलों की खरीद के आँकड़ों से स्पष्ट है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों तथा केरल के लिए खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

अखिल भारत			
	2023-24	**2024-25**	**2025-26**
खरीद (एलएमटी में)	1089.05	1214.12	1275.93
केरल			
खरीद (एलएमटी में)	5.60	5.63	4.74

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसपी फसलों की फसलवार खरीद का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य लॉजिस्टिक्स/बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

खरीद प्रक्रिया एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि एमएसपी का भुगतान किसानों के बैंक खाते में सीधे किया जा सके और आधार और भूमि अभिलेखों को केंद्र और राज्य के खरीद पोर्टलों से जोड़ा जा सके, जिससे किसानों को एमएसपी खरीद का सीधा लाभ मिल सके। एफसीआई द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों में बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली, डिजिटाइज्ड मंडी/खरीद केंद्र संचालन का एकीकरण शामिल हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 04-08-2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2729 के भाग (क) से (ग) से संबंधित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएसपी फसलों की फसलवार खरीद

(आंकड़े एलएमटी में)

सभी एमएसपी फसलें	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
धान	782.20	822.80	825.57
गेहूँ	266.05	300.35	357.57
अन्य अनाज	12.55	11.01	13.93
दलहन	6.94	18.40	31.24
तिलहन	13.07	43.16	29.75
व्यावसायिक (पटसन, कोपरा, कपास)	8.24	18.41	17.86
कुल	**1089.05**	**1214.12**	**1275.93**
